Closed and sick industrial units

487. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total number of closed and sick industrial units in the country, State_wise;

(b) the total number of labourers involved in these sick and closed units, State-wise; and

(c) the steps Government have taken to provide employment to these experienced workers?

THE MINISSTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Industrial sickness

488. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of INDUSRY be pleased to state:

(a) the major factors responsible for sickness in industries in the country; and

(b) the result oriented steps taken by Governmet to stop the sickness in industry?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) According to the RBI report, a number of causes, both internal and external, often operating in combination, have been responsible for industrial sickness. The main causes include deficiencies in planning, management, marketing, etc. The RBI report mentions change in Government policies as one of the external factors.

The Government has taken a number of steps for revival of sick industrial units which, inter-alia, include, guidelines of Reserve Bank of India to Banks, amalgamation of sick units with healthy units and setting up of Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) under Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, National Renewal Fund, National Equity Fund, etc.

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग इकाइयां

489. प्रो॰ राम बक्ष सिंह वर्मा:
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या क्या है और तत्संबंधी जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इकाइयों में कार्य करने वाले लोगों/परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में 31 मार्च, 1998 तक 3,42,812 पंजीकृत लघु औद्योगिक एकक थे जिनमें 14,20,602 व्यक्ति नियोजित थे। एककों की संख्या और इनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जिलावार विवरण (नीचे देखिये) में किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित की जा रही विभिन्न विपणन सहायता योजनाएं निम्न प्रकार है:-

1. औसतन लगभग 3,000 लघु उद्योग एककों को "राज्य भण्डारण क्रय कार्यक्रम" के अतंर्गत प्रतिवर्ष विपणन सहायता प्रदान की जाती है जिसमें 150 से 160 करोड़ रुपये तक वार्षिक औसतन कारोबार होता है।
2. उत्तर-प्रदेश व्यापार संवर्धन प्राधिकरण प्रर्दशनी का आयोजन करता है और लघु उद्योग एककों को रियायती दरों पर स्टालों की व्यवस्था करता है।
3. उत्तर-प्रदेश लघु उद्योग निगम (यू.पी.एस.आई. सी.) पंजीकृत लघु उद्योग एककों को विपणन सुविधाएं प्रदान करता है।
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की एकक बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है:-

-- निशुल्क कैंसर सेटों का जारी करना।
-- पेशगी धन की अदायगी से छूट।
-- वित्तिय सीमा तक प्रतिभूति जमा को हटना
-- जिसके लिए लघु उद्योग एकक पंजीकृत किया